



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, THURSDAY, MARCH 11, 2010
(PHALGUNA 20, 1931 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 11th March, 2010

No. 8—HLA of 2010/19.—The Haryana Value Added Tax (Amendment) Bill, 2010, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 8—HLA of 2010

THE HARYANA VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) BILL, 2010

A

BILL

further to amend the Haryana Value Added Tax Act, 2003.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Haryana Value Added Tax (Amendment) Act, 2010. Short title.

2. After Section 7 of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (hereinafter called the principal Act), the following section shall be inserted, namely:—

“7 A. Levy of Additional Tax.—(1) Notwithstanding anything contained in this Act, there shall be levied and collected on the taxable turnover of a dealer registered under this Act, other than a retailer in lump-sum composition with the department, an additional tax, in the

Insertion of
Section 7-A in
Haryana Act 6 of
2003.

nature of surcharge, which shall be calculated at the rate of five per cent of the tax, payable by him:

Provided that the aggregate of tax and the surcharge payable under this Act, shall not exceed in respect of the goods, declared to be of special importance in inter-state trade or commerce under Section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act 74 of 1956), the rate fixed under Section 15 of that Act.

(2) Except as otherwise provided in Sub-section (1), the provisions of this Act shall, so far as may be, apply in relation to the additional tax leviable under Sub-section (1), as they apply in relation to the tax leviable under any other provision of this Act.”.

3. (1) For Sub-section (1) of Section 61 of the principal Act, the following sub-section shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st April, 2003, namely:—

“(1) The Haryana General Sales Tax Act, 1973 (20 of 1973), is hereby repealed:

Provided that such repeal shall not—

- (a) affect the previous operation of the Act so repealed or anything duly done or suffered thereunder; or
- (b) affect any right, power, title, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the said Act; or
- (c) affect any act done or any action taken (including any appointment, notification, notice, order, rule, form, regulation, certificate) in the exercise of any power conferred by or under the said Act;

and any such act done or any action taken in the exercise of the powers conferred by or under the said Act shall be deemed to have been done or taken in the exercise of the powers conferred by or under this Act as if this Act was in force on the date on which such act was done or action taken; and all arrears of tax and other amount due at the commencement of this Act may be recovered as if the same had accrued under this Act.”.

Amendment of
Section 61 of
Haryana Act 6
of 2003.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The amendment Bill has been proposed with a view to mobilize revenue for the State for devolution to the Local Bodies and Panchayati Raj Institutions and in order to remove some problems being faced by the department in the course of defence of appeal before the Hon'ble Sales Tax Tribunal. Proposed levy of additional tax, in nature of surcharge, is likely to mop up revenue of around rupees three hundred crores per annum. Amendments in Sub-section 61 (1) have been proposed with a view to ensure that power of revision including other powers available under the HGST Act, 1973 continue to remain available under the existing Haryana VAT Act, 2003 as well.

BHUPINDER SINGH HOODA,
Chief Minister, Haryana.

The Governor has, in pursuance of Clauses (1) and (3) of Article 207 of the Constitution of India, recommended to the Haryana Legislative Assembly the introduction and consideration of the Bill.

Chandigarh :
The 11th March, 2010

SUMIT KUMAR,
Secretary.

FINANCIAL MEMORANDUM

As stated in the Statement of Objects and Reasons the purpose of the proposed amendment, in addition to streamlining the appeal process before the Hon'ble Sales Tax Tribunal, is to mobilize revenue for the State for devolution to the Local Bodies and Panchayati Raj Institutions and the proposed levy of additional tax, in nature of surcharge, is likely to result in a revenue gain to the State of around rupees three hundred crore per annum.

[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2010 का विधेयक संख्या ८ – एच० एल० ए०

हरियाणा भूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2010

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम,
2003, को आगे संशोधित
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के इक्सटवे वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में
यह अधिनियमित हो :—

1. यह अधिनियम हरियाणा मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2010, कहा जा सकता है।

संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 7 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

2003 के हरियाणा
अधिनियम 6 में
धारा 7 का रखा
जाना।

“7क. अतिरिक्त कर का उद्घरण.—(1) इस अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी, विभाग से एकमुश्त प्रशमन में परचून विक्रेता से अन्यथा इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत किसी व्यवहारी के कराधेय आवर्त पर अधिभार के स्वरूप में अतिरिक्त कर, जो उस द्वारा भुगतानयोग्य कर के पांच प्रतिशत की दर पर संगणित होगा, उद्गृहीत तथा संग्रहीत किया जाएगा :

परन्तु इस अधिनियम के अधीन भुगतानयोग्य कुल कर तथा अधिभार केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम 74) के अधीन अन्तरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य में विशेष महत्व के रूप में घोषित माल के संबंध में उस अधिनियम की धारा 15 के अधीन नियत की गई दर से अधिक नहीं होगा।

(2) उपधारा (1) में अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस अधिनियम के उपबंध, जहां तक हो सके, उपधारा (1) के अधीन उद्गृहीय अतिरिक्त कर के संबंध में इस प्रकार लागू होंगे, जैसे वे इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन उद्गृहीय कर के सम्बन्ध में लागू हों ।”।

3. (1) मूल अधिनियम की धारा 61 की उप-धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी तथा प्रथम अप्रैल, 2003 से प्रतिस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :—

2003 के हरियाणा
अधिनियम 6 की
धारा 61 का
संशोधन।

“(1) हरियाणा साधारण विक्रय कर अधिनियम, 1973 (1973 का 20), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है :

परन्तु ऐसा निरसन-

(क) इस प्रकार निरसित अधिनियम के पूर्व प्रवर्तन को या सम्यक् रूप से की गई या भुगती गई किसी बात को प्रभावित नहीं करेगा ; या

(ख) उक्त अधिनियम के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, शक्ति, स्वामित्व, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा ; या

(ग) उक्त अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करते हुए किए गए किसी कार्य या की गई किसी कार्रवाई (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, नोटिस, आदेश, नियम, प्ररूप, विनियम, प्रमाण-पत्र सहित) को प्रभावित नहीं करेगा ;

तथा उक्त अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया कोई ऐसा कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई समझी जाएगी मानो वह अधिनियम ऐसी तिथि जिसको ऐसा कार्य किया गया था या कार्रवाई की गई थी को लागू था; तथा इस अधिनियम के प्रारंभ पर कर के सभी बकाया तथा अन्य देय राशि वसूल की जा सकती है मानो वह इस अधिनियम के अधीन प्रोद्भूत हो गई थी ।”।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

यह संशोधन बिल इस विचार से कि राज्य के लिये राजस्व जुटाया जाए ताकि स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तिकरण हो और विभाग द्वारा माननीय बिक्री कर न्यायाधिकरण के सम्मुख दायर अपील की पैरवी करते समय कुछ कठिनाईयों को दूर करने हेतु प्रस्तावित किया गया है। सरचार्ज के रूप में प्रस्तावित अतिरिक्त कर लगाने से राजस्व में लगभग 300 करोड़ रुपये की वार्षिक बढ़ोतरी होगी। उपधारा 61 (1) में संशोधन इस विचार से प्रस्तावित किया गया है कि हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 के अंतर्गत पुनर्रक्षण की तथा अन्य सम्मिलित शक्तियां विद्यमान हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 के अंतर्गत भी उपलब्ध हों।

भूपेन्द्र सिंह हुड़डा,
मुख्य मंत्री, हरियाणा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) तथा (3) के अनुसरण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

चण्डीगढ़ :
11 मार्च, 2010

सुमित कुमार,
सचिव।

वित्तीय ज्ञापन

जैसा कि उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण में वर्णित है प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य माननीय बिक्री कर न्यायाधिकरण के सम्मुख अपील प्रक्रिया को सरल बनाया जाए, राज्य के लिए राजस्व जुटाया जाए ताकि स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तिकरण हो सके तथा सरचार्ज के रूप में प्रस्तावित अतिरिक्त कर को लगाने से सरकार के राजस्व में वार्षिक लगभग 300 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी होने की संभावना है।